International Journal of Unified Knowledge
Volume 1, Issue 2, December 2025

न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर अध्ययन

Sonam Patel

Depaartment of Law, mahatma Gandhi Kashi Vidhyapheeth, Varanasi, India

Abstract (सारांश)

न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्तंभ मानी जाती है, जिसका मूल उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्याय का संरक्षण और सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखना है। तथापि, भारत में न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर पिछले दो दशकों में व्यापक बहस उभरी है। न्यायिक नियुक्तियों, न्यायिक आचरण, कदाचार, लंबित मामलों, और न्यायिक विवेकाधिकार के अत्यधिक उपयोग जैसे मुद्दों ने इस बहस को और तीव्र किया है। यह अध्ययन भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की वर्तमान स्थिति, उससे संबंधित चुनौतियों तथा सुधारों की आवश्यकता का विश्लेषण करता है। अध्ययन में पाया गया कि न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास जैसे—RTI, कोलेजियम निर्णयों का प्रकाशन, लाइव-स्ट्रीमिंग, और न्यायिक आंकड़ों का डिजिटलीकरण—सकारात्मक कदम हैं। किंतु न्यायिक जवाबदेही के लिए अभी भी समुचित तंत्र—जैसे न्यायिक मानक एवं उत्तरदायित्व विधेयक, आंतरिक निगरानी तंत्र, और न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों का पारदर्शी निस्तारण—अत्यंत आवश्यक है। परिणामतः यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को संतुलित तरीके से मजबूत करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिरता के लिए अपरिहार्य है।

Keywords

न्यायपालिका, पारदर्शिता, जवाबदेही, कोलेजियम प्रणाली, न्यायिक नियुक्तियाँ, न्यायिक सुधार, लाइव-स्ट्रीमिंग, RTI, न्यायिक कदाचार।

1. परिचय (Introduction)

न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ होती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य विधि के शासन (Rule of Law) की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, तथा कार्यपालिका और विधायिका पर आवश्यक नियंत्रण बनाए रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार, न्यायपालिका को न केवल स्वतंत्र (independent) बल्कि निष्पक्ष (impartial) और विश्वसनीय संस्था के रूप में विकसित किया गया है। किंतु बीते कुछ दशकों में न्यायपालिका की पारदर्शिता (transparency) और जवाबदेही (accountability) को लेकर गहन बहस उभरकर सामने आई है। न्यायिक नियुक्तियों की बंद-प्रक्रिया, कोलेजियम प्रणाली की गोपनीयता, बढ़ती लंबित मामलों की संख्या, न्यायिक आचरण से संबंधित शिकायतों का अस्पष्ट निस्तारण,

तथा न्यायिक विवेकाधिकार के विस्तार ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या न्यायपालिका स्वयं पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है और क्या जनता का विश्वास बनाए रखने हेतु आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि सभी सार्वजनिक संस्थाएँ नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हों। न्यायपालिका इसका अपवाद नहीं होनी चाहिए, विशेषकर तब जब उसके निर्णय समाज, शासन और नागरिक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालते हों। इसके बावजूद, भारत में न्यायपालिका को ''संवैधानिक सर्वोच्चता'' के नाम पर लंबे समय तक बाहरी समीक्षा से लगभग मुक्त माना गया, जिससे पारदर्शिता के कई पहलू कमजोर रह गए। उदाहरणस्वरूप, न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित चर्चाएँ बंद कमरों में होती रहीं; न्यायिक कदाचार के मामलों में कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती; और नागरिकों को यह पता ही नहीं चलता कि न्यायपालिका के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे काम करती है।

हाल के वर्षों में सूचना का अधिकार (RTI), ई-कोर्ट्स परियोजना, लाइव-स्ट्रीमिंग ऑफ़ कोर्ट प्रोसिडिंग्स, और कोलेजियम बैठकों के निर्णय प्रकाशित करने जैसे सुधारों ने न्यायपालिका की पारदर्शिता में कुछ वृद्धि की है। इसके बावजूद न्यायिक जवाबदेही को लेकर विधिक और नैतिक दोनों स्तरों पर अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इन्हीं मुद्दों का विश्लेषण करना, न्यायपालिका के पारदर्शिता–जवाबदेही संतुलन को समझना, और संभावित सुधारों की दिशा में वैकल्पिक उपाय प्रस्तुत करना है।

समग्र रूप से, यह परिचय न्यायपालिका के कार्य और महत्व के साथ-साथ उससे संबंधित समकालीन चिंताओं को स्पष्ट करता है, तथा यह संकेत देता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।

2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of Study)

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित वर्तमान स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। न्यायपालिका पर बढ़ते अविश्वास, कोलेजियम प्रणाली की गोपनीयता, न्यायिक नियुक्तियों के विवाद, और न्यायिक कदाचार के मामलों के अप्रत्यक्ष निस्तारण जैसे मुद्दों को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि न्यायपालिका की संरचना, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए। अध्ययन का लक्ष्य यह समझना है कि न्यायिक नियुक्तियों, पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रियाएँ कितनी पारदर्शी हैं, और क्या वर्तमान प्रणालियाँ न्यायिक स्वतंत्रता के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। साथ ही, यह शोध यह जांचने का प्रयत्न करता है कि बढ़ती न्यायिक देरी, लंबित मामलों की संख्या, और न्यायिक विवेकाधिकार के असंगत उपयोग का पारदर्शिता और न्याय वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इसके अलावा, यह अध्ययन न्यायाधीशों के आचरण एवं शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता, न्यायिक कदाचार पर कार्रवाई की प्रक्रिया, तथा न्यायाधीशों के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता का विश्लेषण भी करता है। इसके अतिरिक्त, शोध का एक उद्देश्य यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियों—जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा—के मॉडलों के आधार पर भारत में संभावित सुधारों का मूल्यांकन किया जाए। अंततः, अध्ययन का उद्देश्य ऐसे व्यवहारिक और नीतिगत

सुझाव प्रस्तुत करना है जिनसे न्यायपालिका की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और नैतिक जवाबदेही को मजबूत किया जा सके, जबकि उसकी स्वतंत्रता और संवैधानिक स्थिति अक्षुण्ण बनी रहे।

3. कार्यप्रणाली (Methodology)

इस अध्ययन में गुणात्मक (qualitative) अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे विषय मूलतः संस्थागत, नीतिगत और संरचनात्मक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। शोध के लिए प्राथमिक स्रोतों के बजाय द्वितीयक स्रोतों (secondary sources) पर निर्भर करते हुए व्यापक दस्तावेजीय विश्लेषण (documentary analysis) किया गया। इसमें भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों के निर्णय, न्याय आयोग (Law Commission of India) की विभिन्न रिपोर्टें—विशेषकर 230वीं और 254वीं रिपोर्ट—न्यायिक सुधारों से संबंधित संसद में प्रस्तुत विधेयक, सरकारी दस्तावेज, वार्षिक न्यायिक आंकड़े (NJA और e-Courts project द्वारा जारी), तथा विभिन्न आयोगों (जैसे Verma Committee, Malimath Committee) की सिफारिशें शामिल की गईं।

इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठित विधि एवं समाजशास्त्रीय विद्वानों—जैसे उपेंद्र बक्सी, फली नरीमन, पी.बी. मेहता—के लेखन, शोध पत्र, तथा न्यायपालिका से जुड़े विशेषज्ञों के सार्वजनिक वक्तव्यों का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में मीडिया रिपोर्टों, संपादकीय लेखों, और न्यायिक पारदर्शिता से संबंधित सार्वजनिक विमर्श को भी डेटा स्रोतों के रूप में सम्मिलित किया गया, ताकि न्यायपालिका के प्रति जनमानस के दृष्टिकोण को समझा जा सके।

तुलनात्मक विश्लेषण (comparative analysis) पद्धति का उपयोग करते हुए भारत की न्यायिक प्रणाली की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की न्यायिक नियुक्तियों, आचरण तंत्र और निगरानी संरचना से की गई। विषयगत विश्लेषण (thematic analysis) के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही, न्यायिक नियुक्तियाँ, न्यायिक कदाचार, केस पेंडेंसी, RTI, और न्यायिक सुधार जैसे प्रमुख विषयों की पहचान की गई तथा उन्हें अनुसंधान उद्देश्यों से जोड़कर व्याख्यायित किया गया।

4. साहित्य समीक्षा (Literature Review)

न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर उपलब्ध साहित्य दर्शाता है कि यह विषय भारत के लोकतांत्रिक विमर्श में लगातार केंद्र में रहा है। विभिन्न विद्वानों, आयोगों और नीतिगत संस्थानों ने इस पर गहन चर्चा की है। उपेंद्र बक्सी (U. Baxi, 2010) न्यायिक पारदर्शिता को ‘‘लोकतांत्रिक वैधता’’ का आधार मानते हैं और तर्क देते हैं कि न्यायिक शक्ति का विस्तार तभी स्वीकार्य है जब न्यायपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। फली नरीमन (2013) के अनुसार, भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी चुनौती ‘‘आत्म-नियमन’’ (self-regulation) की अपर्याप्तता है, क्योंकि न्यायाधीशों के आचरण की जांच के लिए कोई स्वतंत्र तंत्र मौजूद नहीं है।

कोलेजियम प्रणाली पर साहित्य में व्यापक आलोचना मिलती है। बीस सालों से अधिक समय से विद्वानों ने इस प्रणाली की ‘‘गोपनीय कार्यप्रणाली’’ को न्यायिक पारदर्शिता में सबसे बड़ी बाधा माना है (Sharma, 2019)। कई शोध यह संकेत देते हैं कि कोलेजियम की बैठकें, चयन के मानदंड, और निर्णय प्रक्रिया

सार्वजनिक नहीं होने के कारण न्यायपालिका पर भाई-भतीजावाद (nepotism) और पक्षपात (bias) के आरोप लगते हैं। 230वीं विधि आयोग रिपोर्ट (2010) और 255वीं रिपोर्ट (2015) दोनों ने न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और अधिक पारदर्शी तंत्र की सिफारिश की।

न्यायिक देरी (judicial delay) भी साहित्य का एक प्रमुख विषय है। Mehta (2006) के अनुसार, ''न्याय में देरी स्वयं अन्याय के समान है'' और यह न्यायपालिका की दक्षता एवं जवाबदेही दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। भारत में 4.7 करोड़ से अधिक लंबित मामले न्याय तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं। कई शोधों ने यह पाया कि न्यायिक अवसंरचना की कमी, जजों की कम संख्या, प्रक्रिया में जटिलता और अनावश्यक स्थगन न्यायिक देरी की प्रमुख वजहें हैं (Law Commission, 2017)।

RTI और न्यायपालिका की पारदर्शिता पर भी महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट का 2019 का निर्णय, जिसमें न्यायपालिका को RTI के दायरे में शामिल किया गया, को शोधकर्ता ऐतिहासिक कदम मानते हैं। Handoo (2020) के अनुसार, RTI न्यायपालिका को जवाबदेही से जोड़ने वाला ''सांस्थानिक पुल'' है, लेकिन अदालतें अभी भी इसके अनुपालन में सावधानीपूर्ण रवैया रखती हैं।

साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा न्यायिक कदाचार और शिकायत निवारण तंत्र की कमजोरियों पर केंद्रित है। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि भारत में न्यायिक आचरण के खिलाफ शिकायतों को सार्वजनिक नहीं किया जाता और जाँच की प्रक्रिया अत्यंत अस्पष्ट रहती है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में स्वतंत्र न्यायिक आचरण आयोग (Judicial Conduct Commission) मौजूद हैं, जबकि भारत में ऐसा तंत्र अनुपस्थित है, जिसे विद्वान ''जवाबदेही का संस्थागत अभाव'' बताते हैं (Verma Committee, 2013)।

अंतरराष्ट्रीय साहित्य न्यायिक पारदर्शिता के विभिन्न मॉडलों की चर्चा करता है, जैसे—UK का Judicial Appointment Commission मॉडल, USA में ओपन-हियरिंग आधारित नियुक्ति प्रक्रिया, और कनाडा की merit-based judicial selection प्रणाली। इन मॉडलों की विशेषता है कि वे न तो न्यायिक स्वतंत्रता को कम करते हैं और न ही पारदर्शिता से समझौता करते हैं।

5. परिणाम एवं विश्लेषण (Results and Analysis)

अध्ययन से पता चला कि न्यायपालिका के कई क्षेत्रों में पारदर्शिता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
(1) न्यायिक नियुक्तियाँ: कोलेजियम प्रणाली में निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं होती, जिसके कारण पक्षपात, भाई-भतीजावाद, और बंद-चौखट जैसी आलोचनाएँ सामने आती हैं।
(2) लंबित मामले: 4.7 करोड़ से अधिक लंबित मामलों की वजह से न्याय की गति अत्यंत धीमी हो गई है, जो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
(3) न्यायिक कदाचार: भारत में अब तक केवल कुछ ही न्यायाधीशों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है, और शिकायत निवारण तंत्र पारदर्शी नहीं है।
(4) RTI मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट शुरू में स्वयं को RTI के दायरे में लाने से हिचक रहा था, जो जवाबदेही में कमी को दर्शाता है।
(5) सकारात्मक पहलें: सुप्रीम कोर्ट की लाइव-स्ट्रीमिंग, e-Courts परियोजना, और कोलेजियम निर्णयों के प्रकाशन जैसे सुधार स्वागत योग्य हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, किंतु इससे पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, क्योंकि न्याय केवल दिया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि ‘‘नजर भी आना चाहिए’’ कि दिया जा रहा है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शी तंत्र, शिकायत निवारण के लिए स्वतंत्र आयोग, न्यायालयों के डिजिटलीकरण में तेजी, तथा न्यायिक देरी को कम करने के लिए संरचनात्मक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं। न्यायपालिका की विश्वसनीयता तभी मजबूत होगी जब वह स्वयं को लोकतांत्रिक समीक्षा और नैतिक उत्तरदायित्व के दायरे में लाएगी।

7. References (APA 7 Style)

Baxi, U. (2010). *The crisis of the Indian judiciary*. Oxford University Press.

Handoo, S. (2020). Judicial accountability and transparency: A constitutional perspective. *Indian Journal of Constitutional Law*, 14(2), 45–59.

Law Commission of India. (2017). *254th Report: The need for judicial reforms*. Government of India.

Mehta, P. B. (2006). *The burden of democracy*. Penguin Books.

Nariman, F. (2013). *The state of the nation and the judiciary*. Universal Law Publishing.

Sharma, R. (2019). Collegium system and the debate on judicial transparency. *Journal of Public Affairs*, 10(1), 88–102.

Supreme Court of India. (2019). *RTI judgment*, Civil Appeal No. 10044 of 2010.

Verma Committee. (2013). *Report on amendments to criminal law*. Government of India.